FORM NO. III

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर।

तारीख हुक्म	आदेश दीवानी वाद संख्या 30/2022 भारत पेट्रोलियम लि. बनाम नगर परिषद व अन्य	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
05-08-2025	अधिवक्ता वादी श्री शरद यादव उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री गुंजन जैन एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री अमित बंसल एडवोकेट उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। इस प्रकरण में प्रार्थी पवन गर्ग की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता लम्बित है। इसके प्रार्थी पवन गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री भोलाशंकर शर्मा उपस्थित। प्रथमतः प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के बाबत सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 एवं वादी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों के अनुरूप ही बहस की है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में दो बिन्दु उठाए गए हैं, एक तो यह कि दावा वादी मियाद बाहर है दूसरा न्याय शुल्क वाद मूल्यांकन की राशि 18,78,500/- पर अदा नहीं किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण हेतु वाद पत्र के तथ्यों को ही विचार में लिया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद पत्र के मद संख्या 15(घ) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराकर कहा कि वादी द्वारा वर्ष 2015 के बाद से लीज राशि जमा नहीं करवाई गई और यह लीज राशि दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2022 तक एक साथ दिनांक 04-02-2022 को जमा करवाई गई। उनका तर्क है कि यह लीज राशि वादी द्वारा इसलिए जमा नहीं करवाई गई थी क्योंकि वादी को पता था कि विवादित सम्पत्ति की लीज़ अब वादी के स्थान पर मैसर्स जगदीश नारायण सत्यनारायण को दे दी गई है। उनका तर्क है कि वर्ष 2014-15 से ही यह तथ्य वादी की जानकारी में था इसलिए दावा वादी पूर्णतया मियाद बाहर है परन्तु मेरी विनम्र राय में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 का यह तर्क इस स्टेज पर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर (राज.)	

तारीख हुक्म	आदेश दीवानी वाद संख्या 30/2022 भारत पेट्रोलियम लि. बनाम नगर परिषद व अन्य	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
	यह बिन्दु साक्ष्य से ही अभिनिश्चित किया जा सकता है कि दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2022 की लीज राशि दिनांक 04-02-2022 को ही चुकाये जाने का क्या कारण था ? यह सम्पूर्ण लीज राशि दिनांक 04-02-2022 को ही विभिन्न ड्राफटों द्वारा अदा की गई इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वादी को वर्ष 2014-15 से ही लीज डीड मैसर्स जगदीश नारायण, सत्यनारायण के नाम होने की जानकारी थी। अतः इस स्टेज पर यह नहीं माना जा सकता कि दावा वादी मियाद बाहर हो। स्वीकृत रूप से यह दावा वादी की ओर से लीज डीड दि. 06-02-2014 को निरस्त किए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है और इस वाद का मूल्यांकन उक्त लीज डीड में अंकित राशि 18,78,500/- रूपये किया गया है परन्तु न्याय शुल्क राजस्थान कोर्ट फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (जिसे आगे अधिनियम सम्बोधित किया जाएगा) की धारा 45(v) के अनुरूप 300/- रूपये अदा किया गया है। अधिनियम की धारा 45 तब लागू होती है जब प्रस्तुत दावे के सम्बन्ध में अधिनियम में कोई प्रावधान उपलब्ध न हो। हस्तगत वाद पत्र लीज डीड के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है जिस हेतु अधिनियम की धारा 38 में विशिष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है जिसके अनुसार न्याय शुल्क की गणना विषय वस्तु के मूल्य के आधार पर की जाएगी। विषय वस्तु का मूल्य वाद पत्र में ही 18,78,500/- रूपए कायम किया हुआ है। अतः इन परिस्थितियों में न्याय शुल्क उक्त राशि 18,78,500/- पर ही देय होगा। उपरोक्तानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी तक आवश्यक रूप से उपरोक्तानुसार न्याय शुल्क अदा करे। यह प्रकरण टारगेटेड श्रेणी का है। अतः वादी आगामी पेशी तक आवश्यक रूप से न्याय शुल्क अदा करे अन्यथा यह समझा जाएगा की वह न्याय शुल्क अदा करना नहीं चाहता है। पत्रावली वास्ते अदायगी न्याय शुल्क व अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12-08-2025 को पेश हो। (देवेन्द्र दीक्षित) जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर (राज.)	